भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 *149
29 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत नए आवासों का निर्माण

***149. श्री बिद्‍युत बरन महतो:**
श्री सुब्रत पाठक:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत नये आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख) देश में ऐसे आवासों के निर्माण हेतु चयनित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों के चयन हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न ऐसे राज्यों को संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में आज की तारीख तक निर्माणाधीन पीएमएवाई-यू आवासों का ब्यौरा क्या है और ऐसे आवासों के निर्माण हेतु अब तक संस्वीकृत, जारी की गई एवं उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन आवासों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'पीएमएवाई-यू के तहत नए आवासों का निर्माण' के संबंध में दिनांक 29.07.2021 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *149 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): जी, हां। दिनांक 01.04.2020 से 19.07.2021 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 23,81,293 आवासों को मंजूरी दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I पर है।

(ग): 2011 की जनगणना के अनुसार सांविधिक कस्बों वाले सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और बाद में अधिसूचित कस्बे [अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्रों सहित] मिशन में शामिल किए जाने के पात्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर, जिसके पास अधिसूचित शहरी क्षेत्र नहीं है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनिवार्य शर्तों पर सहमत होकर मिशन में भाग लेने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, देश भर में 112,95,047 आवासों को मंजूरी दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से, 50,08,573 आवास पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं और शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस योजना को दिनांक 31.03.2022 तक क्रियान्वित किया जाएगा। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि सभी आवासों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, नींव डाले गए, पूरे किए गए आवासों की संख्या और योजना के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाई गई केंद्रीय सहायता की राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में है।

*****

दिनांक 29.07.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *149 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत दिनांक 01.04.2020 से 19.07.2021 तक स्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**स्वीकृत आवासों की संख्या (01.04.2020 से 12.07.2021)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	574
2	आंध्र प्रदेश	7,98,171
3	अरुणाचल प्रदेश	167
4	असम	20,034
5	बिहार	58,639
6	चंडीगढ़ (यूटी)	945
7	छत्तीसगढ	71,193
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,682
9	दिल्ली (एनसीआर)	6,021
10	गोवा	3,088
11	गुजरात	1,88,399
12	हरियाणा	12,941
13	हिमाचल प्रदेश	4,670
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	1,440
15	झारखंड	51,722
16	कर्नाटक	99,408
17	केरल	20,186
18	मध्य प्रदेश	90,724
19	महाराष्ट्र	2,32,066
20	मणिपुर	12,088
21	मेघालय	636
22	मिजोरम	9,974
23	नागालैंड	4,183
24	उड़ीसा	54,495
25	पुडुचेरी (यूटी)	3,375
26	पंजाब	14,108
27	राजस्थान	38,100
28	सिक्किम	91
29	तमिलनाडु	1,07,659
30	तेलंगाना	49,386
31	त्रिपुरा	20,866
32	उत्तर प्रदेश	2,64,364
33	उत्तराखंड	7,297
34	पश्चिम बंगाल	1,32,601
कुल		**23,81,293**

दिनांक 29.07.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *149 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

पीएमएवाई-यू के तहत दिनांक 25.06.2015 से 19.07.2021 तक स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण हुए आवासों की संख्या तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाई गई केंद्रीय सहायता राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आवासों के निर्माण की वास्तविक प्रगति (संख्या)			केंद्रीय सहायता के संबंध में वित्तीय प्रगति (राशि करोड़ रूपए में)		
		स्वीकृत	निर्माणाधीन	निर्मित	अनुमोदित	जारी	प्रयुक्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	602	4	43	9.21	0.90	0.86
2	आंध्र प्रदेश	20,37,778	10,43,023	4,62,773	30,930.11	10,104.94	6,785.02
3	अरुणाचल प्रदेश	7,427	4,513	3,412	167.00	148.99	87.43
4	असम	1,37,744	70,872	29,711	2,086.20	980.20	645.52
5	बिहार	3,63,895	1,22,670	93,713	5,682.52	2,456.31	1,741.87
6	चंडीगढ़ (यूटी)	1,524	-	6,484	33.81	33.81	33.81
7	छत्तीसगढ	2,98,058	72,745	1,40,151	4,597.77	2,526.22	2,125.89
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	7,792	2,210	5,135	155.03	133.08	128.12
9	दिल्ली (एनसीआर)	25,250	16,600	49,230	571.06	571.06	571.06
10	गोवा	4,074	-	4,016	92.60	92.06	91.72
11	गुजरात	8,23,978	1,61,721	5,82,376	15,444.64	11,270.57	10,768.67
12	हरियाणा	2,84,541	32,995	44,121	4,636.11	1,171.14	900.99
13	हिमाचल प्रदेश	12,564	4,915	5,762	222.88	125.87	115.93
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	56,151	32,274	10,654	857.49	323.75	194.74
15	झारखंड	2,34,483	62,455	1,02,288	3,588.05	2,265.55	1,717.06
16	कर्नाटक	6,90,786	2,08,102	2,47,459	11,237.56	4,929.47	4,247.13
17	केरल	1,29,304	22,965	99,837	2,124.02	1,481.53	1,570.92
18	लद्दाख (यूटी)	1,777	558	480	36.67	17.28	0.98
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	8,56,845	3,11,674	4,55,104	13,771.50	9,461.45	8,376.31
21	महाराष्ट्र	13,22,861	2,57,610	4,95,951	21,992.96	10,645.19	9,432.60
22	मणिपुर	53,535	32,020	5,571	803.47	338.09	237.06
23	मेघालय	5,329	794	1,668	85.32	37.46	20.21
24	मिजोरम	39,867	14,822	4,688	608.18	189.80	109.84
25	नागालैंड	34,227	23,991	6,052	539.36	306.88	120.72
26	उड़ीसा	1,77,188	37,144	94,856	2,765.13	1,552.22	1,446.17
27	पुडुचेरी (यूटी)	14,830	8,831	6,247	235.19	164.25	138.77
28	पंजाब	1,08,673	41,967	44,083	1,811.49	1,061.86	883.61
29	राजस्थान	2,14,144	26,385	1,31,148	3,857.05	2,298.02	2,141.02
30	सिक्किम	635	296	342	9.79	4.92	2.14
31	तमिलनाडु	7,14,832	1,66,310	4,42,044	11,365.35	7,038.50	7,744.77
32	तेलंगाना	2,24,192	30,477	2,05,106	3,890.52	2,745.85	2,683.48
33	त्रिपुरा	92,035	14,234	52,810	1,475.17	1,027.55	846.19
34	उत्तर प्रदेश	17,29,421	4,75,633	8,65,295	26,933.75	15,488.64	12,193.33
35	उत्तराखंड	44,639	7,815	20,940	842.44	563.41	420.47
36	पश्चिम बंगाल	5,29,094	1,22,400	2,74,051	8,391.48	5,204.50	4,588.92
कुल*:		**112,95,047**	**34,31,025**	**50,08,573**	**1,82,118.21**	**97,028.68**	**83,380.66**

*इसमें 14, 972 लाभार्थी शामिल हैं जिनके लिए हाल में ही सीएलएसएस के तहत 267 करोड़ रूपए की सब्सिडी बैंकों तथा एचएफसी को जारी की गई है।